झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अधिसूचना

संख्या– मं0मं0स0–05/वे०भ० संशोधन –128/2017 884 / दिनांक 02/7/2024 /

झारखण्ड विधान–मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम, 2006 (झारखण्ड अधिनियम, 18, 2006), झारखण्ड विधान–मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम, 09, 2008) सहपठित झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 13, 2011) की धारा 7 एवं झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015 के नियम–20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम और विस्तार एवं प्रारंभ :–**

क) यह नियमावली "झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) नियमावली, 2024" कहलायेगी।

ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

ग) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

2. इस नियमावली में जब तक कि विषय या संदर्भ के विरूद्ध कोई बात न हो,

क) मंडल/सभा से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान मंडल।

ख) मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक से अभिप्रेत है, झारखण्ड विधान सभा का कोई ऐसा सदस्य जो सरकार गठित करने वाले सत्तारूढ़ दल द्वारा मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक के रूप में नियुक्त हुआ हो, तथा मान्यता प्राप्त मुख्य विरोधी दल के मुख्य सचेतक एवं सचेतक के रूप में नियुक्त हुआ हो।

ग) मुख्य सचेतक को मंत्री का दर्जा एवं उप मुख्य सचेतक तथा सचेतक को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा।

घ) **अधिनियम से अभिप्रेत है–** झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) अधिनियम, 2006।

ङ) **निजी स्टाफ से अभिप्रेत है –** सरकार द्वारा समय–समय पर मुख्य सचेतक/ उप मुख्य सचेतक/सचेतक की स्थापना में स्वीकृत निजी स्टाफ।

3. विधानमंडल में सत्तारूढ दल के एक मुख्य सचेतक, एक उप मुख्य सचेतक तथा चार सचेतक तथा विरोधी दल में एक मुख्य सचेतक तथा दो सचेतक अनुमान्य होंगे।

4. विधान मंडल के मुख्य सचेतक को वेतन मद में रु0 75,000/– (पचहत्तर हजार) मात्र, उप मुख्य सचेतक को वेतन मद में रु0 70,000/–(सत्तर हजार) मात्र प्रतिमाह एवं सचेतक को वेतन मद रु0 60,000/–(साठ हजार) मात्र प्रतिमाह तथा मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक को आतिथ्य भत्ता मद में रु0 55,000 (पचपन हजार) मात्र प्रतिमाह की दर से देय होगा।

5. विधान मंडल के मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक को क्षेत्रीय भत्ता मद में रु0 65,000/– (पैंसठ हजार) मात्र देय होगा।

6. मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल को दो सरकारी गाडी चालक सहित एवं मुख्य सचेतक, विरोधी दल तथा उप मुख्य सचेतक तथा सभी सचेतकों को एक–एक सरकारी गाड़ी चालक सहित की सुविधा अनुमान्य होगी।

7. मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक को किरायामुक्त सुसज्जित आवास दिया जायेगा।

8. **दूरभाष का प्रावधान**– मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक को वर्ष में अधिकतम रु0 1,00,000/–(एक लाख) मात्र अनुमान्य होगा, जिसमें मोबाईल हेतु रु0 60,000/– (5,000/– रू0 प्रतिमाह की दर पर) वेतन में देय होगा तथा शेष रु0 40,000/– (चालीस हजार) मात्र लैंडलाईन और इंटरनेट विपत्र के विरूद्ध देय होगा।

9. <u>उपस्कर एवं आवास सुसज्जन</u> :–

मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक को एक टर्म के लिए रु० 3,00,000/– (तीन लाख) मात्र तथा इसके रख–रखाव के लिए प्रतिवर्ष रु० 20,000/– (बीस हजार) मात्र देय होगा।

10. मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक को निम्नवत् निजी स्टाफ की सुविधा अनुमान्य होगी–

क्र	पदनाम	आप्त सचिव	निजी सहायक	दिनचर्या लिपिक	आदेशपाल/चालक/ऑर्डरली
1	मुख्य सचेतक, झारखण्ड विधानसभा	01 (एक) (वाह्य स्त्रोत से को–टर्मिनस आधार पर)	2 (दो) (दोनों निजी सहायक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निजी सहायक पूल से उपलब्ध करायी जायेगी)	01 (एक) (वाह्य स्त्रोत से को–टर्मिनस आधार पर)	03 (तीन) आदेशपाल तथा 01 (एक) चालक (वाह्य स्त्रोत से को–टर्मिनस आधार पर)
2	उप मुख्य सचेतक, झारखण्ड विधानसभा	01 (एक) (वाह्य स्त्रोत से को–टर्मिनस आधार पर)	01 (एक) (निजी सहायक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निजी सहायक पूल से उपलब्ध करायी जायेगी)	01 (एक) (वाह्य स्त्रोत से को–टर्मिनस आधार पर)	01 (एक) आदेशपाल तथा 01 (एक) चालक (वाह्य स्त्रोत से को–टर्मिनस आधार पर)
3	सचेतक, झारखण्ड विधानसभा	01 (एक) (वाह्य स्त्रोत से को–टर्मिनस आधार पर)	01 (एक) (निजी सहायक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निजी सहायक पूल से उपलब्ध करायी जायेगी)	—	01 (एक) आदेशपाल तथा 01 (एक) चालक (वाह्य स्त्रोत से को–टर्मिनस आधार पर)

मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक, द्वारा स्वविवेक से की गई वाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा माननीय मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक की कार्य अवधि की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेगी या उनकी इच्छा पर किसी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

11. (i) मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/ सचेतक, झारखण्ड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 और इसके अधीन बनायी गई नियमावली के अन्तर्गत सदस्य के रूप में निम्न सुविधाओं के हकदार होंगे–

क) उप मुख्य सचेतक/सचेतक को पोस्टल, स्टेशनरी एवं कार्यालय व्यय की सुविधान्तर्गत रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र प्रतिमाह देय होगा।

ख) मुख्य सचेतक को प्रभारी भत्ता के अन्तर्गत राज्य के अन्दर रु0 3,000/– (तीन हजार) मात्र एवं राज्य के बाहर रु0 4,000/– (चार हजार) मात्र प्रतिदिन देय होगा।

ग) उप मुख्य सचेतक/सचेतक को दैनिक भत्ता के रुप में राज्य के अन्दर रु0 3,000/– (तीन हजार) मात्र एवं राज्य के बाहर रु0 4,000/– (चार हजार) मात्र प्रतिदिन देय होगा।

घ) मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक को निःशुल्क कम्प्यूटर/लैपटॉप (प्रिंटर सहित) की सुविधा देय होगी जिसका मूल्य अधिकतम 1,00,000/– (एक लाख) मात्र की सीमा के अन्तर्गत होगा। सदस्यता समाप्त होने पर उन्हें कम्प्यूटर/लैपटॉप (प्रिंटर सहित) विधान–मंडल को वापस कर देना होगा या खरीद कीमत का 10 प्रतिशत राशि वापस किया जायेगा।

(ii) मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक को प्रतिवर्ष हवाई/ जलपोत यात्रा मद में क्रमशः रूपये 3,00,000/– (तीन लाख) मात्र, रु0 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार) एवं रु0 2,00,000/– (दो लाख) मात्र अनुमान्य होगा। साथ ही मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक, भारत में हवाई/जलपोत यात्रा के दौरान अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री ले जाने के हकदार होंगे। हवाई/जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों की प्रतिपूर्ति निर्धारित सीमा के अन्दर विपत्र के विरूद्ध विधान सभा द्वारा देय होगा। HOR की सुविधा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा पूर्ववत उपलब्ध कराया जाता रहेगा। मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक को विधान–सभा सदस्यों को देय रेल कूपन की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

12. मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक के साथ जाने वाला निजी स्टाफ, यात्रा भत्ता नियमावली के अधीन तथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ता का हकदार होगा। राज्य के बाहर यात्रा करने के लिये सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी और तभी उनका यात्रा भत्ता ग्रहण किया जा सकेगा।

13. आप्त सचिव का यात्रा भत्ता विपत्र मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। अराजपत्रित स्टाफ का यात्रा भत्ता विपत्र यथास्थिति आप्त सचिव या मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

14. विधानमंडल के मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक को इस अधिनियम के अन्तर्गत देय सुविधा प्राप्त होने पर उन्हीं मदों में सदस्य को अलग से प्राप्त होने वाली सुविधा देय नहीं होगी।

15. **चिकित्सा सुविधा :-**

विधानमंडल के मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक को चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा परिचर्या एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उन नियमों के अधीन प्राप्त होगा जो राज्य सरकार का स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड समय-समय पर अवधारित करे।

16. **गृह ऋण** :- विधान मंडल के मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक को गृह ऋण मद में रु0 60,00,000/- (साठ लाख) मात्र, 4% (चार प्रतिशत) वार्षिक व्याज की दर से देय होगा।

17. **मोटर कार ऋण** :- विधान मंडल के मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक को मोटर कार ऋण के रूप में रु0 20,00,000/- (बीस लाख) मात्र 4% (चार प्रतिशत) वार्षिक व्याज की दर से देय होगा।

i) मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक राशि रु० 20,00,000/- (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक मोटरगाड़ी क्रय कर सकेंगे।

18. यह नियमावली एवं इसके अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष, जब वह 14 दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्र समाविष्ट हो, रखा जायगा और यदि जिस सत्र में यह रखा गया हो, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा उसकी ठीक बाद वाले सत्र में, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाए, तो उसके बाद यथास्थिति, नियम का ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभाव होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई उपान्तरण या बातलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई कोई बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

19. **व्याख्या एवं संशोधन**- इस नियमावली के प्रावधानों की यथावश्यक व्याख्या (Interpretation) एवं संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

9.7.24

(वंदना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं0म0स0– 05 / वे०भ० संशोधन –128 / 2017 884 / राँची, दिनांक - 02/7/ . 2024।

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचेतक / उप मुख्य सचेतक / सचेतक, झारखण्ड विधान सभा, रांची / मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव / विकास आयुक्त के सचिव / सभी अपर मुख्य सचिव / सरकार के सभी प्रधान सचिव / प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली / सरकार के सभी सचिव / सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2.7.24

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0म0स0–05 / वे०भ० संशोधन –128 / 2017 884 / राँची, दिनांक - 02/7/ . 2024।

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, एच.ई.सी. प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा / डोरंडा / रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.7.24

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0म0स0–05 / वे०भ० संशोधन –128 / 2017 884 / राँची, दिनांक - 02/7/. 2024।

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची / नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) झारखंड को संकल्प की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र (ई–गजट) में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2.7.24

सरकार के प्रधान सचिव।